<u>न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष संख्या 02, प्रयागराज।</u>

<u>दिनांक–09.05.2026</u>

1. आज राष्ट्रीय लोक अदालत में उपरोक्त चालानी वाद अन्तर्गत एम.वी.एक्ट. निस्तारण हेतु प्रस्तुत की गयी।

2. उ0प्र0 दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) अधिनियम 1979 की धारा–9 के अनुसार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी वाद के होते हुये भी एम.वी. एक्ट. 1939 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये किसी अभियुक्त का विचारण उपशमित हो जायेगा। उपरोक्त अधिनियम में उपशमित होने की तिथियां समय–समय पर निर्धारित की गयी है। उ०प्र० दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) अधिनियम 1979 (संशोधन) अध्यादेश 2023 के अनुसार धारा–9 में 31 दिसम्बर 2016 के स्थान पर दिनांक 31 दिसम्बर 2021 प्रतिस्थापित किया गया है। इससे दर्शित होता है कि दिनांक 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व न्यायालय में लम्बित एम.वी.एक्ट. 1979 के मामलों का विचारण और अपराध का शमन हो जायेगा।

3. उपरोक्त पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि उपरोक्त चालानी वाद अन्तर्गत एम0वी0 एक्ट दिनांक 31 दिसम्बर 2021 के पूर्व से न्यायालय में लम्बित है। अतः उपरोक्त चालानी वाद अन्तर्गत एम0वी0 एक्ट का विचारण और अपराध का उपशमन/शमन किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

4. उपरोक्त चालानी वाद अन्तर्गत एम.वी.एक्ट. का विचारण और अपराध का उपशमन/शमन किया जाता है।

(तहरीम खान)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष संख्या–02 प्रयागराज।
J-O-Code–UP02194